संख्या-क.नि-5-5147-1-11-2000-312(143)/2000

प्रेषक

टी. जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा मे

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त अपर जिलाधिकारी, वित्त एंव राजस्व, उत्तर प्रदेश।
समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कर एंव निबंधन अनुभाग-5 लखनऊ: दिनाक 8 सितम्बर 2000

विषय: स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत भूमि तथा भवनों के हस्तान्तरण संबंधी विलेखों के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क वसूल किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0-क.नि.-5-9122/11-2000-500(9)/99 दिनॉक 27.07.2000 का संदर्भ ग्रहण करें। इस शासनादेश के क्रम में कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने वाले समस्त अधिकारियो को यह निर्देश दिये जाते है कि यदि पूर्व में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 4 वर्ष के भीतर कोई विलेख भवन का मूल्य सम्मिलित किये बगैर मात्र भूमि के मूल्यांकन के आधार पर स्टाम्प शुल्क लेकर पंजीकृत किए गए हैं तो वे उनका परिक्षण करके अथवा संबंधित उपनिबंधन से आख्या प्राप्त करके, धारा-47 क(3) के अन्तर्गत ऐसे विलेख मंगाकर उन पर कमी स्टाम्प निर्धारित करें तथा उसकी वसूली करें। साथ ही जिन विलेखो के संबंध में चार वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है किन्तु आठ वर्ष का समय नहीं पूरा हुआ है, उनके सम्बन्ध में कमी स्टाम्प के निर्धारण हेतु शासन को प्रस्ताव भेजकर आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लें।

2. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए अपने जनपद के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना (ऐसे स्टाम्पवादो की संख्या, आरोपित धनराशि, वसूली गई धनराशि आदि के विवरण सहित) शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(टी.जार्ज जोसेफ)

प्रमुख सचिव

संख्या-क.नि-5-5147(1)-1-11-2000-312(143)/2000 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव, राजस्व परिषद/आयुक्त स्टाम्प उ.प्र., इलाहाबाद।

2. समस्त उप निबंधक, उ.प्र. ।

आज्ञा से

(यू0के0एस0 चौहान)

विशेष सचिव